

विकास आयुक्त कार्यालय
SRLM प्रकोष्ठ
विकास भवन, सेक्टर-19, द्वितीय तल
नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर,
छत्तीसगढ़



Ph.No. 0771-2512395, 0771-2512393


पिन कोड-492002

E-mail - mdcgsrlm@gmail.com

क्रमांक 2647 वि-6/NRLM/HR&A/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/11/2024

// सूचना //

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त निर्देश 12/2020 एवं 13/2020 के अनुक्रम में विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने की अनुमति प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित की गयी थी, जिसकी अनुमति नहीं मिलने की दशा में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत एन.आर.एल.एम. हेतु राज्य स्तर के रिक्त पदों हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 9114, दिनांक 16/12/2019 के साथ-साथ जिला स्तर के रिक्त पदों हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 3995, दिनांक 02/02/2019 एवं क्रमांक 4320, दिनांक 18/02/2019 के अपूर्ण प्रक्रिया को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।


मिशन संचालक, SRLM
विकास आयुक्त कार्यालय
नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़

विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ

ब्लाक-चार, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक-38 (CIV)
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़



(Ph.No. 0771-2510745, 2420222, E-mail - mdcgsrlm@gmail.com, www.bihan.gov.in)

क्रमांक 5114 / वि-6 / NRLM / HR&A / 2019

रायपुर, दिनांक 16 / 12 / 2019

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के अंतर्गत राज्य मिशन, जिला मिशन एवं विकासखण्ड मिशन कार्यालयों में संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट www.bihan.gov.in में आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पदों का विवरण :-

क्र.	पदनाम	पदस्थापना कार्यालय	कुल पद संख्या	एकमुश्त मासिक मानदेय (रु.)
1	2	3	4	5
1.	सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक-वित्तीय प्रबंधन (Asst. State Programme Manager - Financial Management)	राज्य कार्यालय, रायपुर	1 ST	46,200
2.	प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव (Programme Executive)	राज्य कार्यालय, रायपुर	1 ST	44,000
3.	जिला मिशन प्रबंधक (District Mission Manager)	जिला बस्तर	1 UR	48,000
4.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक-आजीविका (District Programme Manager-Livelihoods)	जिला राजनांदगांव, गरियाबंद, रायगढ़ एवं कोण्डागांव	4 UR	44,000
5.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक-एस.एम.आई.बी. (District Programme Manager-Social Mobilization & Institution Building)	जिला राजनांदगांव, कोरिया एवं कोरबा	3 UR	44,000
6.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक-वित्तीय समावेशन (District Programme Manager-Financial Inclusion)	जिला बलरामपुर एवं बस्तर	2 UR	44,000
7.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक-मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण (District Programme Manager-Human Resources & Training)	जिला सरगुजा एवं बलरामपुर	2 UR	44,000
8.	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक (Block Project Manager)	जिला सरगुजा	1 UR, 1 ST *	33,000
		जिला बेमेतरा	1 OBC	33,000
		जिला राजनांदगांव	1 UR (Disable)	33,000
		जिला बस्तर	2 ST (1 Disable)	33,000
		जिला कोरिया	2 ST (1 F)	33,000
		जिला सूरजपुर	1 ST	33,000
		जिला रायगढ़	1 (ST-F)	33,000
9.	लेखापाल (Accountant)	जिला बस्तर	1 (ST-F)	16,445
		जिला कांकेर	1 ST	16,445

2. पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव आदि का विवरण 'परिशिष्ट-1' में संलग्न है।

3. उक्त पदों में अनुभव हेतु निम्नानुसार अंक प्रदाय किया जावेगा :-

पदनाम	प्रासंगिक अनुभव (Relevant Experience)			
	30 अंक	40 अंक	45 अंक	50 अंक
सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक	5 वर्ष पूर्ण एवं 6 वर्ष से कम	6 वर्ष पूर्ण एवं 7 वर्ष से कम	7 वर्ष पूर्ण एवं 8 वर्ष से कम	8 वर्ष पूर्ण या 8 वर्ष से अधिक
प्रोग्राम एक्जीक्युटिव	4 वर्ष पूर्ण एवं 5 वर्ष से कम	5 वर्ष पूर्ण एवं 6 वर्ष से कम	6 वर्ष पूर्ण एवं 8 वर्ष से कम	8 वर्ष पूर्ण या 8 वर्ष से अधिक
जिला मिशन प्रबंधक	5 वर्ष पूर्ण एवं 6 वर्ष से कम	6 वर्ष पूर्ण एवं 7 वर्ष से कम	7 वर्ष पूर्ण एवं 8 वर्ष से कम	8 वर्ष पूर्ण या 8 वर्ष से अधिक
जिला कार्यक्रम प्रबंधक	4 वर्ष पूर्ण एवं 5 वर्ष से कम	5 वर्ष पूर्ण एवं 6 वर्ष से कम	6 वर्ष पूर्ण एवं 8 वर्ष से कम	8 वर्ष पूर्ण या 8 वर्ष से अधिक
विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	2 वर्ष पूर्ण एवं 3 वर्ष से कम	3 वर्ष पूर्ण एवं 4 वर्ष से कम	4 वर्ष पूर्ण एवं 6 वर्ष से कम	6 वर्ष पूर्ण या 6 वर्ष से अधिक

4. उक्त पदों (लेखापाल को छोड़कर) में साक्षात्कार हेतु मेरिट अंक का निर्धारण निम्नानुसार है :-

1. दसवीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 10 अंक
2. बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 10 अंक
3. स्नातक कक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 10 अंक
4. स्नातकोत्तर (निर्धारित शैक्षणिक योग्यता) में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए-20 अंक
5. अनुभव उक्त तालिका में दर्शित अनुसार अधिकतम - 50 अंक

5. उक्त पदों (लेखापाल को छोड़कर) पर चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण निम्नानुसार है :-

1. कौशल परीक्षा पर - 40 अंक
2. समूह चर्चा पर - 30 अंक
3. साक्षात्कार पर - 30 अंक

6. लेखापाल पद हेतु कौशल परीक्षा एवं मेरिट अंक का निर्धारण निम्नानुसार है:-


1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 80 अंक
2. अनुभव- प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए-1 अंक अधिकतम - 05 अंक
3. कौशल परीक्षा - 15 अंक

7. नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदन सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे। ऑनलाईन आवेदन के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक 12/12/19... से वेबसाईट www.bihan.gov.in में दिनांक 06/01/20... सायं 05:00 बजे तक खुले रहेंगे।
3. रिक्त पदों के लिये राज्य/जिला/विकासखण्ड के पदवार अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है। जिला स्तर के समान पद हेतु आवेदक द्वारा एक ही आवेदन में स्वयं की प्राथमिकता अनुसार जिला का चयन करते हुए, उन जिलों का नाम अंकित करेंगे।
4. सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, प्रोग्राम एक्जीक्युटिव, जिला मिशन प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है साथ ही इन पदों पर आयु की अधिकतम सीमा 55 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2019 के आधार पर की जायेगी।
5. विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं लेखापाल पद हेतु आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों

- एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2019 के आधार पर की जायेगी।
6. बस्तर संभाग के लेखापाल पद हेतु अभ्यर्थी को संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक पद के लिये छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र।
 7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
 8. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 9. ऑनलाईन में प्रविष्ट की गई सभी जानकारी की दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अंकसूची आदि को साक्षात्कार के दौरान स्वप्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।
 10. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
 11. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
 12. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
 13. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आवरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
 14. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 15. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
 16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा- जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा।
 17. शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के अंक के आधार पर प्रथमतया पात्र आवेदक दस्तावेज परीक्षण के दौरान ऑनलाईन में प्रविष्ट की गई सभी जानकारी की दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अंकसूची आदि की मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 18. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा/समूह चर्चा/साक्षात्कार के लिये 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलावा जायेगा।
 19. उक्त पदों (लेखापाल को छोड़कर) में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा। तत्पश्चात् केवल कौशल परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसमें सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जायेगी।
 20. लेखापाल पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा तत्पश्चात् शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी जिसमें सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जावेगी एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदकों को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम में प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है, तो उसे वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

21. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनारक्षित प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
22. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
23. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
24. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
25. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
26. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
27. लेखापाल के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
28. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' की वेबसाइट www.bihan.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।
29. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
30. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता राज्य मिशन संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।


 राज्य मिशन संचालक, NRLM
 विकास आयुक्त कार्यालय
 नवा रायपुर अटल नगर
 रायपुर, छत्तीसगढ़

Detailed tasks description and eligibility criteria are as follows :-

POSITION : ASST. STATE PROGRAMME MANAGER - FINANCIAL MANAGEMENT

Eligibility Criteria

Education - Master Degree in Commerce/ICWA Inter/CA Inter/Management (Finance).

Experience - Candidate should have worked in development project preferably for poverty reduction or livelihoods promotion successfully executed key FM functions, including statutory audits, and acknowledged capacity in handling books of accounts in development project in government/Non-government organization for at least 5 years of relevant post-qualification experience.

Desirable Requirement -

The person should be well versed with working in MS office environment and should have good communication skill (both speaking and writing) in English and Hindi. He/she should have the ability to work in team.

POSITION : PROGRAMME EXECUTIVE

Eligibility Criteria

Education - Master Degree in Social Work/Rural Development/Rural Management.

Experience - Candidate should have worked in development project preferably for poverty reduction or livelihoods promotion in implementing SHG-Bank Linkege Programme in government/Non-government organization for at least 4 years of relevant post-qualification experience.

Desirable Requirement -

The person should be well versed with working in MS office environment and should have good communication skill (both speaking and writing) in English and Hindi. He/she should have the ability to work in team.

POSITION : DISTRICT MISSION MANAGER

Eligibility Criteria

Education - Master Degree in Social Work/Agriculture (Allied)/Rural Development/Rural Management/Rural Technology/MBA.

Experience - Candidate should have worked in development project preferably for poverty reduction or livelihoods promotion in implementing SHG-Bank Linkege Programme in government/Non-government organization for at least 5 years of relevant post-qualification experience.

Desirable Requirement -

The person should be well versed with working in MS office environment and should have good communication skill (both speaking and writing) in English and Hindi. He/she should have the ability to work in team.

POSITION : DISTRICT PROGRAMME MANAGER - LIVELIHOODS

Eligibility Criteria

Education - Master Degree in Rural Management/Agriculture/Agri-Business Management/Horticulture/Natural Resource Management/Rural development.

Experience - At least 4 years of relevant post-qualification experience in rural-livelihoods promotion, in large scale livelihoods promotion in rural development sector at senior managerial level government/Non-government organization.

Desirable Requirement -

The person should be well versed with working in MS office environment and should have good communication skill (both speaking and writing) in English and Hindi. He/she should have the ability to work in team.

POSITION : DISTRICT PROGRAMME MANAGER - SOCIAL MOBILISATION AND INSTITUTIONAL BUILDING

Eligibility Criteria

Education - Post Graduate Degree in Management/Social Works/Rural Development/ Rural Management/Agriculture and Allied (10+2+4).

Experience - At least 4 years of relevant post-qualification experience in rural livelihoods promotion, in large scale livelihoods promotion in rural development sector at senior managerial level government/Non-government organization.

- Candidate should have worked for social mobilisation of poor and developing their institutions/federation. S/he should have acknowledged capacity of providing training to community institutions.
- The person should also be conversant with modern practices of social mobilisation in different large scale projects/programme and strengthening of community institutions.

Desirable Requirement -

The person should be well versed with working in MS office environment and should have good communication skill (both speaking and writing) in English and Hindi. He/she should have the ability to work in team.

POSITION : DISTRICT PROGRAMME MANAGER - FINANCIAL INCLUSION

Eligibility Criteria

Education - Master Degree in Social Work/Rural Development/Rural Management.

Experience - Candidate should have worked in development project preferably for poverty reduction or livelihoods promotion in implementing SHG-Bank Linkege Programme in government/Non-government organization for at least 4 years of relevant post-qualification experience.

Desirable Requirement -

The person should be well versed with working in MS office environment and should have good communication skill (both speaking and writing) in English and Hindi. He/she should have the ability to work in team.

POSITION : DISTRICT PROGRAMME MANAGER - HUMAN RESOURCE & TRAINING

Eligibility Criteria

Education - Master Degree in Social Work/Rural Development/Rural Management/MBA.

Experience - At least 4 years of relevant post-qualification experience in development project preferably for poverty reduction or livelihoods promotion in government/Non-government organization. She/he should have acknowledged capacity of providing training to staff and community. Person should have knowledge of HR functions and handling staff management.

Desirable Requirement -

The person should be well versed with working in MS office environment and should have good communication skill (both speaking and writing) in English and Hindi. He/she should have the ability to work in team.

POSITION : Block Project Manager

Eligibility Criteria

Education - Master Degree in Rural Development/Rural Technology/Business Administration/ Social Work/Sociology/ Agriculture.

Experience - Candidate should have worked in development project preferably for poverty reduction or livelihoods promotion in social mobilisation of poor and developing their institutions/federation. Acknowledged capacity in SHG Bank linkages in government/Non-government organization for at least 2 years of relevant post-qualification experience.

Desirable Requirement -

The person should be well versed with working in MS office environment and should have good communication skill (both speaking and writing) in English and Hindi. He/she should have the ability to work in team.

POSITION : ACCOUNTANT (लेखापाल)

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण।
2. लेखा से संबंधित 02 वर्षीय अनुभव।
3. टैली/एम.एस.ऑफिस में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

-----00-----

विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ

ब्लॉक-चार, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक-38 (CIV)
इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़



(Ph.No. 0771-2510745, 2420222, E-mail - mdcgslm@gmail.com, www.bihan.gov.in)

क्रमांक 3995/वि-6/NRLM/HR&A/2019

रायपुर, दिनांक 02/02/2019

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के अंतर्गत जिला मिशन एवं विकासखण्ड मिशन कार्यालयों में संविदा के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पदों का विवरण:-

क्र.	जिला	पदनाम/संख्या व आरक्षण				
		लेखा सह एम. आई. एस. सहायक	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	क्षेत्रीय समन्वयक	कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	भृत्य
1	2	3	5	6	7	8
1	रायपुर	—	—	अना.-1, अ.पि.व.-1	—	—
2	धमतरी	अ.ज.जा.-1	—	अना.-1, अ.जा.-1	—	—
3	महासमुंद	अ.ज.जा.-1, अना.-2, अ.पि.व.-1	—	अना.-2, अ.पि.व.-1, अ.ज.जा.-1, अ.जा.-1	—	—
4	बलौदा-बाजार	—	—	अ.पि.व.-1, अ.जा.-1	—	—
5	गरियाबंद	अ.ज.जा.-1, अना.-2 (महिला 1) अ.पि.व.-1	—	अ.ज.जा.-2, अना.-1 (महिला) अ.पि.व.-1	—	—
6	दुर्ग	—	—	अ.ज.जा.-1	—	—
7	बालोद	अ.ज.जा.-1	—	अना.-1, अ.ज.जा.-1	—	—
8	बेमेतरा	—	—	अ.जा.-1	—	—
9	कबीरधाम	अना.-1, अ.ज.जा.-1, अ.पि.व.-1	अना.-1	अना.-3, अ.पि.व.-1, अ.जा.-1, अ.ज.जा.-1	—	अना.-1
10	रायगढ़	अना.-2 (महिला 1), अ.ज.जा.-2	अना.-1	अना.-4 (महिला 1, भू-सैनिक 1), अ.ज.जा.-4	—	अना.-1

		(महिला 1), अ.पि.व.-1 अ.जा.-1		(महिला 1, दिव्यांग 1), अ.पि.व.-2 (महिला 1) अ.जा.-2		
11	मुंगेली	—	—	अ.ज.जा.-1, अ.जा.-1	—	—
12	सरगुजा	—	—	अ.ज.जा.-4 (महिला 1) अ.पि.व.-1, अना.-1 (महिला)	—	—
13	कोरिया	अ.ज.जा.-2 (महिला 1)	अना.-1	अ.ज.जा.-3 (महिला 1, भूसैनिक 1), अना.-2 (दिव्यांग 1) अ.जा.-1	—	—
14	बस्तर	अ.ज.जा.-2 (दिव्यांग 1)	—	अ.ज.जा.-5 (महिला 3, दिव्यांग 1)	—	—
15	नारायणपुर	अ.ज.जा.-2	—	अ.ज.जा.-1	—	—
16	कांकेर	अ.ज.जा.-3 (महिला 1), अना.-2, अ.पि.व.-1	—	अ.ज.जा.-4 (महिला 3), अ.जा.-1	—	—
17	कोण्डागांव	—	—	अ.ज.जा.-4 (महिला 1)	—	—
18	बीजापुर	अ.ज.जा.-2, अ.पि.व.-1, अना.-1	—	अ.ज.जा.-4, अ.पि.व.-1	—	—
19	सुकमा	अ.ज.जा.-3 (महिला 1)	—	अ.ज.जा.-3 (महिला 1)	—	—
20	राजनांदगांव	अ.ज.जा.-1 (बैकलॉग) अ.जा.-1 (बैकलॉग)	—	अना.-4 (बैकलॉग 2) (महिला 1) अ.ज.जा.-1, अ.जा.-1 (बैकलॉग)	अ.पि.व.-1 (बैकलॉग), अ.जा.-1	—
21	दंतेवाड़ा	अ.ज.जा.-4 (महिला 1), अ.पि.व.-1	अना.-1	अ.ज.जा.-6 (महिला 2), अ.पि.व.-1	—	अना.-1
22	कोरबा	अना.-2, अ.ज.जा.-1	—	अ.ज.जा.-2 अ.जा.-1, अ.पि.व.-1, अना.-1	—	अना.-1
23	बलरामपुर	अ.ज.जा.-2	—	—	—	—
24	जशपुर	अना.-1, अ.ज.जा.-4 (महिला 2), अ.जा.-1 अ.पि.व.-1	अना.-1	अना.-2 (महिला 1), अ.जा.-1, अ.पि.व.-2, अ.ज.जा.-9 (महिला 3, भूसैनिक 1)	—	अना.-1
25	बिलासपुर	—	—	अ.ज.जा.-1	—	—

26	जांजगीर- चांपा	अना.-1	-	अ.ज.जा.-1, अ.जा.-1, अ.पि.व.-1	-	-
27	सूरजपुर	अ.ज.जा.-3 (महिला 1), अना.-2, अ.पि.व.-1	अना.-1	अ.ज.जा.-4 (महिला 1) अना.-4 (महिला 1) अ.पि.व.-1 अ.जा.-1	-	अना.-1

2. पदों का वेतन एवं शैक्षणिक योग्यता:-

क्र	पदनाम	एकमुश्त मासिक मानदेय	शैक्षणिक अर्हता	मेरिट अंक
1	क्षेत्रीय समन्वयक	22000	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्नमूलन/ आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव। कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट। 	<ol style="list-style-type: none"> शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 80 अंक अनुभव- प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए- 2 अंक अधिकतम-5 अंक समूह चर्चा/ साक्षात्कार पर - 15 अंक
2	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	16445	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। टैली/एम.एस.ऑफिस में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। 	<ol style="list-style-type: none"> शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 80 अंक अनुभव- प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए-2 अंक अधिकतम-5 अंक कौशल परीक्षा - 15 अंक
3	डाटा एण्ट्री आपरेटर	16445	<ol style="list-style-type: none"> कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 	<ol style="list-style-type: none"> शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 60 अंक
4	कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री	16445	<ol style="list-style-type: none"> निम्नांकित संस्थाओं से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/ उपाधि:- <ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/माडर्न/आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)। वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीग्रेड 	<ol style="list-style-type: none"> अनुभव- प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए-2 अंक अधिकतम-5 अंक कौशल परीक्षा - 35 अंक


			<p>यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा। <p>3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।</p> <p>4. बस्तर एवं सरगुजा संभाग में आने वाले सभी जिलों में मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को छूट प्रदान करते हुए बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में संचालित गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण पत्रों को नियुक्ति हेतु मान्य किया जावेगा।</p>	
6	मृत्य	10140	मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण	<p>1. आठवीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 40 अंक</p> <p>2. दसवीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 20 अंक</p> <p>3. बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 20 अंक</p> <p>4. अनुभव- प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए-5 अंक अधिकतम-20 अंक</p>

3. नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदन सिर्फ पंजीकृत/स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 28.02.19 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में ही रवीकार किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. जिलों के रिक्त पदों के लिये जिलेवार एवं पदवार अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रु. डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
3. सभाग सरगुजा एवं बस्तर के पदों के लिये अभ्यर्थी संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है तथा अन्य संभागों के लिये छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।
4. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 के आधार पर की जायेगी।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
6. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आवरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदुपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
15. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा- जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिये 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलावा जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक

- वर्ष के लिये वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
17. शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
 18. संबंधित पदों पर अनुभव शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं का मान्य होंगे।
 19. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
 20. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
 21. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
 22. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
 23. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 24. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
 25. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार है। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोलर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
 26. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप संबंधित जिला पंचायत की सूचना पटल, शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' की वेबसाइट www.bihan.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।
 27. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
 28. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा।


 राज्य मिशन संचालक, SRLM
 विकास आयुक्त कार्यालय
 इंद्रावती भवन, अटल नगर
 रायपुर, छत्तीसगढ़

संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव:-

विभाग/संस्था	पद नाम	कार्य अवधि		
		कब से	कब तक	कुल अनुभव (माह में)
कुल अनुभव				

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

—: घोषणा :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं। किसी स्तर पर जानकारियाँ असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:-.....

विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ

ब्लाक-चार, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक-38 (CIV)
इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

(Ph.No. 0771-2510745, 2420222, E-mail - mdcsrlm@gmail.com, www.bihar.gov.in)



क्रमांक 4320/वि-6/NRLM/HR&A/2019

रायपुर, दिनांक 18/02/2019

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के अंतर्गत जिला मिशन एवं विकासखण्ड मिशन कार्यालयों में संविदा के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पदों का विवरण:-

क्र.	जिला	पदनाम/संख्या व आरक्षण		
		लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	क्षेत्रीय समन्वयक	कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री आपरेटर
1	2	3	4	5
1	रायपुर	-	अना-2	अना-1
2	धमतरी	-	अजजा-1	-
3	बलौदा-बाजार	-	अना-1	-
4	दुर्ग	अजजा-1	-	-
5	सुरजपुर	अना-1	-	-
6	बरतार	-	अना-1	-
7	कांकर	-	अजजा-2, अपिव-1, अना-2(1 महिला)	-
8	कोण्डागांव	अजजा-3(1 महिला), अपिव-1	-	अना-1

2. पदों का वेतन एवं शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक मानदेय	शैक्षणिक अर्हता	मेरिट अंक
1	क्षेत्रीय समन्वयक	22,000	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्नमूलन/ आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव।	1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 80 अंक 2. अनुभव प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए- 2 अंक अधिकतम- 5 अंक


			3. कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।	3. समूह चर्चा/साक्षात्कार पर - 15 अंक
2	लेखा सह एम.आई.एस. सहायक	16,445	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. टैली/एम.एस.ऑफिस में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।	1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 80 अंक 2. अनुभव- प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए-2 अंक अधिकतम-5 अंक 3. कौशल परीक्षा - 15 अंक
3	कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री	16,445	1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 2. निम्नांकित संस्थाओं से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि:- • मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। • मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/माडर्न/आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)। • वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। • DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा। 3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति। 4. बस्तर एवं सरगुजा संभाग में आने वाले सभी जिलों में मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को छूट प्रदान करते हुए बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में संचालित गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण पत्रों को नियुक्ति हेतु मान्य किया जावेगा।	1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 60 अंक 2. अनुभव- प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए-2 अंक अधिकतम-5 अंक 3. कौशल परीक्षा - 35 अंक

71

3. नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदन सिर्फ पंजीकृत/स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 18/03/19 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में ही स्वीकार किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. जिलों के रिक्त पदों के लिये जिलेवार एवं पदवार अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रु. डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
3. संभाग सरगुजा एवं बस्तर के पदों के लिये अभ्यर्थी संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है तथा अन्य संभागों के लिये छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।
4. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 के आधार पर की जायेगी।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
6. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदुपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
15. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा- जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिये 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलावा जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

17. शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
18. संबंधित पदों पर अनुभव शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं का मान्य होंगे।
19. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
20. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
21. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
22. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
23. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
24. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
25. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार है। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रॉस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
26. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप संबंधित जिला पंचायत की सूचना पटल, शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' की वेबसाइट www.bihan.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।
27. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
28. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा।


 राज्य मिशन संचालक, SRLM
 विकास आयुक्त कार्यालय
 इंद्रावती भवन, अटल नगर
 रायपुर, छत्तीसगढ़

संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव:-

विभाग/संस्था	पद नाम	कार्य अवधि		
		कब से	कब तक	कुल अनुभव (माह में)
कुल अनुभव				

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

—: घोषणा :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं। किसी स्तर पर जानकारियाँ असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:-.....